जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 01.12.2024

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***धनघटा पुलिस द्वारा* 02** वारण्टी नाम पता 01. राजाराम पुत्र लौटू निवासी कुड़वा 02. रोशन पुत्र रामसुभग निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, हे0का0 बदरे आलम, का0 हरिन्द्र यादव।

***धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता 01. दिनेश पुत्र तीरथ निवासी ग्राम थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री गामा यादव, का0 अरुण कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6004 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर से इवेंट सं0 **44873** द्वारा कालर शुभम कुमार गुप्ता ने मो0नं0 8174858989 से दो पहिया वाहनो में टक्कर के कारण दुर्घटना मे 02 व्यक्तियों (01. प्रीतममणी पुत्र भुवाल ग्राम जसवल थाना महुली 02. किसन पुत्र स्वार्थ ग्राम अतरौलिया मठिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दियाए सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियो द्वारा सराहना की गयी।

। ***पीआरवी स्टाफ-* आ0 प्रदीप कुमार यादव, हो0चा0 दिनेशचन्द।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 117 वाहनों से 1,05,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 117 वाहनों से 1,05,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दुधारा उपाधीक्षक प्रशीणाधीन ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 443/2024 धारा 137(2),87 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अबदुर रहमान पुत्र मुजफ्फर हुसैन उर्फ बबलू निवासी ग्राम पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 01.12.2024 को जूरी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 30.11.2024 को थाना दुधारा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 रितेश कुमार यादव,का0 अंकित कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद मोटर साईकिल के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली ***श्री श्याम मोहन*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 440/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित मद्धेशिया ऊर्फ दुर्लभ पुत्र मनिराम निवासी कुरसुरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद मोटर साईकिल के साथ कुरसुरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 01.12.2024 को थाना महुली पर अपनी मोटर साईकिल दिनांक 29.11.2024 को दिन में मुखलिसपुर बाजार से दो पहिया वाहन संख्या UP58AC 1656 गायब होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना महुली द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर

घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 01.12.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

रोहित मद्धेशिया ऊर्फ दुर्लभ पुत्र मनिराम निवासी कुरसुरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर

***बरामदगी का विवरण*–** 01 अदद मोटर साईकिल UP58AC 1656।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्रा, उ0नि0 श्री रामपाल तिवारी हे0का0 जुबेर अली, का0 अमरजीत यादव।